वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़,जागरूक एक्सप्रेस,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 20.12.2024

दो जोनल अधिकारी व अवर अभियंताओं को नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण के जोनवार कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि जोन-3 व 4 की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने जोनल अधिकारी व अवर अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

बैठक में न्यायालयों से संबंधित लंबित प्रत्यावेदनों की अपडेट स्थिति, आइजीआरएस, जनशिकायतों व असंतुष्ट फीडबैक आदि की समीक्षा की गई। इस दौरान शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान, शमन शुल्क की वसूली, बेसमेंटों को खाली कराना, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अनधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के विरुद्ध कार्रवाई पर चर्चा की गई। तीन जोन में शमन शुल्क के रूप में 39हजार कोष में जमा कराए गए। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापति, [illegible] कुमार, अवर अभियंता रोहित कुमार, राजू कुमार, परमानन्द दूबे व अशोक कुमार यादव आदि उपस्थित रहे।

12 बीघा की प्लाटिंग को वीडीए ने किया ध्वस्त

रोहनिया क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर वीडीए ने लगाया गया बोर्ड : • वीडीए

वाराणसी : वीडीए की टीम ने थाना रोहनिया के सदलपुर, मिसिरपुर व मीरापुर में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 12 बीघा की प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसमें मिसिरपुर में अज्ञात लोगों द्वारा 05 बीघा और मीरापुर में नागेन्द्र सिंह द्वारा 07 [illegible] में अवैध प्लाटिंग कराई गई थी। वीडीए ने वहां एक बोर्ड भी लगा दिया गया। जिसके माध्यम से लोगों को सूचित किया गया कि बिना लेआउट नक्शा पास कालोनियों में प्लाट क्रय न करें। इस कार्रवाई में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह व आदर्श कुमार निराला और प्रवर्तन दल सहित पुलिस बल शामिल रहा।

अमर उजाला–दि0 20.12.2024

असि के आसपास के जमीन मालिकों की होगी जांच

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और बीएचयू आईआईटी की टीम ने बृहस्पतिवार को असि नदी का निरीक्षण किया। वीडीए उपाध्यक्ष ने आदेश दिया कि असि नदी व नाले से प्रभावित मोहल्ला कर्दमेश्वर, कंदवा पोखरा, कर्माजीतपुर तालाब की जमीनों के भू-स्वामित्व की जांच कराएं। यहां सीमांकन कर पत्थर लगाए जाएंगे। यह काम वीडीए और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम करेगी। नदी की राजस्व अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई व वर्तमान में स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई की जांच की जाएगी। नदी के प्रवाह क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर संबंधित सूचना पट्ट व बोर्ड लगाए जाएंगे। नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। यहां नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.12.2024

12 बीघे की प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को 12 बीघे की दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। नगवां वार्ड के रोहनिया सदलपुर मिसिरपुर में अज्ञात की ओर से बगैर लेआउट स्वीकृत कराए 5 बीघे में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। मीरापुर में नागेंद्र सिंह की ओर से 7 बीघे का अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी की देखरेख में पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण ध्वस्त कराया। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 20.12.2024

असि मुहाने के अवैध निर्माण टूटेंगे

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश
- पुरानी और वर्तमान स्थिति की जांच करके होगा सीमांकन

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। जीर्णोद्धार की परियोजना के तहत असि नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। यह आदेश गुरुवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निरीक्षण के बाद दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज असि नदी की चौड़ाई और वर्तमान में उपलब्ध चौड़ाई की जांच के लिए सीमांकन किया जाएगा।

आईआईटी बीएचयू की टीम के साथ कंदवा, कर्माजीतपुर में निरीक्षण के दौरान असि नदी से प्रभावित शहरी और ग्रामीण इलाकों में कार्ययोजना पर वीडीए उपाध्यक्ष ने चर्चा की। कर्दमेश्वर तालाब के पास पोखरी, कर्माजीतपुर में तालाबों के भू-स्वामित्व की जांच की और अधिकारियों को सीमांकन करने के लिए पत्थर लगाने का निर्देश दिया। वीडीए के राजस्व विभाग को असि नदी के प्रवाह क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर नदी से संबंधित नोटिस बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष ने जोन के अधिकारियों पर क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं स्थायी अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। उन्होंने वीडीए एवं नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम बनाकर जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह, प्रोफेसर बृन्द कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिशिर गौर, डॉ. पद्मा सोनी, मेघा झा, स्नेहा आदि मौजूद रहीं।

आज–दि0 20.12.2024

१२ बीघा जमीन की प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने गुरुवार को लगभग १२ बीघा जमीन पर हो रही प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कारवाई की। इसमें सदलपुरा, मौजा-मिसिरपुर में पांच बीघा मौजा-मीरापुर सात बीघा जमीन पर कास्टकार प्लाटिंग कर रहे थे। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आर.के.सिंह, आदर्श कुमार निराला, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर, स्थानीय थाने की पुलिस की देख रेख में जेसीबी के माध्यम से हुये प्लास्टिंग पर जेसीबी चलायी गयी।

अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

विप्रा सभागार में गुरुवार को जोन-३,४ और पांच के साप्ताहिक प्रगति पर चर्चा हुई। जिसमें जोन-३,४ की कार्यप्रणाली दुरुस्त न पाने की वजह से जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समीक्षा बैठक में मूलत: जमा समन मानचित्र, स्वीकृत मानचित्र, वसूली, बेसमेंटों को खाली कराना, अवैध प्लाटिंग से संबंधित मामले के जिसमें जोन-२,४,१ समन शुल्क के मध में जमा किये गये ३९ लाख आठ हजार २२५ रुपया का विवरण दिया गया। वहीं खराब वसूली और लापरवाही बरतने पर जोन-३,४ को नोटिस जारी की गयी। समीक्षा बैठक परमानंद यादव, संयुक्त प्रभारी, प्रभारी अधिकारी भवन जोन-३ के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार, राजीव कुमार, जोन-५ के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता परमानंद दुबे, अशोक कुमार यादव सहित लिपिक मौजूद थे।

आज–दि0 20.12.2024

असि नदी पुनरूद्धार के लिए विप्रा ने कसी कमर

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने गुरूवार को असि के जिर्णोद्धार को लेकर बीएचयू आईआईटी और विभाग के अधिकारियों के साथ कर्दमेश्वर, कंदवा, कर्माजीतपुर एवं असि नदी के प्रभावित स्थालों का निरीक्षण किया। जिसमें इन्होंने

उपाध्यक्ष ने आईआईटी विशेषज्ञों के साथ प्रमुख स्थलों का किया निरीक्षण

कर्दमेश्वर, कंदवा और कर्माजीतपुर तालाबों के भूमिस्वामित्व की जांच करने के लिए निर्देश देते हुए सीमांकन करने का भी वीडिए राजस्व विभाग को निर्देश दिया। असि नदी शुरूआत में चार तालाबों की सफाई डिसिल्टिंग के अलावा राजस्व अभिलेख में दर्ज चौड़ाई के अनुसार इसकी पैमाईश करने का भी निर्देश दिया। जिसमें ठोस अपशिष्ट डिम्पिंक स्थलों का पहचान कर उसके निस्तारण का भी निर्देश दिया। एसटीपी के इनलेट तथा आउटलेट इसके लिए इन्होंने फ्लो मीटर लगाने का भी निर्देश दिया जिससे की शोध आसानी हो सके। असि नदी के प्रभा के मुख्य स्थानों पर सूचना पट्ट लगाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ तेजी से काररवाई की जाये। कार्यदायी एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि नदी के पुनरूद्धार के लिए ड्राइंग, डिजाइन और डीपीआर का कार्य तुरंत शुरू की जाये। निरीक्षण में वीडिए उपाध्यक्ष के अतिरिक्त आईआईटी बीएचयू के तकनिकी विशेषज्ञ अभियंता और नगर निगम एवं वीडिए के राजस्व टीम उपस्थित थी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में हुई समीक्षा बैठक

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में हुई बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, बेसमेंटों को खाली कराना, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल / सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरुद्ध कार्यवाही, आम जनमानस से प्राप्त शिकायतों (आई0जी0आर0एस0) का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 02. जोन-4 द्वारा कुल 01 व जोन-5 द्वारा कुल 04 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 39,08.225.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। जोन-3 व 4 की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित जोनल अधिकारी व अवर अभियन्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में श्री परमानन्द यादव-सयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी (भवन/प्रवर्तन/जनसूचना / इलाक्र), जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरम देव प्रजापति, अवर अभियन्ता रोहित कुमार व राजू कुमार एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी- प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता परमानन्द दूबे व अशोक कुमार यादव व अन्य लिपिकगण उपस्थित रहे।

जोन-4 के प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 12 बीघे में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-नगवाँ, थाना-रोहनिया के अन्तर्गत सदलपुर, मौजा-मिसिरपुर में अज्ञात द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 05 बीघा में तथा मौजा-मीरापुर में नागेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा लगभग 07 बीघा में इस प्रकार कुल 12 बीघा में की गयी अवैध प्लाटिंग को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत आज दिनांक 19/12/2024 प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर0 के0 सिंह व आदर्श कुमार निराला व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 20.12.2024

वाविप्रा सभागार में विभिन्न बिन्दुओ पर की गई समीक्षा

वाराणसी।वाविप्रा सभागार में 19 दिसम्बर को निमनलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी ।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, बेसमेंटों को खाली कराना, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल / सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, आम जनमानस से प्राप्त शिकायतों (आई0जी0 आर0एस0) का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 02. जोन-4 द्वारा कुल 01 व जोन-5 द्वारा कुल 04 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 39,08.225.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। जोन-3 व 4 की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित जोनल अधिकारी व अवर अभियन्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।समीक्षा बैठक में श्री परमानन्द यादव-सयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी (भवन/प्रवर्तन/जनसूचना / IGRS), जोन-3 के जोनल अधिकारी श्री सौरम देव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री रोहित कुमार व श्री राजू कुमार एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी- श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री परमान्द दूबे व श्री अशोक कुमार यादव व अन्य लिपिकगण उपस्थित रहे।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 20.12.2024

अस्सी नदी के पुनरुद्धार के लिए वीडीए वीसी ने तकनीकी विशेषज्ञों संग किया स्थल निरीक्षण

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने गुरुवार को अस्सी नदी के जीर्णोद्धार की परियोजना के करमेश्वर, कंदवां, कर्माजीतपुर एवं अस्सी नदी एवं नाले से प्रभावित ग्रामों / क्षेत्रों का टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।इस दौरान उपाध्यक्ष ने कई निर्देश प्रदान किये गये। अस्सी नदी एवं नाले से प्रभावित मोहल्ला-करमेश्वर तालाब के पास पोखरी, कंदवां एवं कर्माजीतपुर तालाबों/पोखरा की भू-स्वामित्व की जांच करते हुये सीमांकन कर पत्थर लगाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए इस हेतु वीडीए व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के गठन हेतु आदेशित किया।

अस्सी नदी के शुरूआत में आ रहे 4 तालाबों यथा- अपस्ट्रीम आफ कर्दमेश्वर महादेव मंदिर तालाब, कर्दमेश्वर तालाब, कंदवा तालाब तथा कंचनपुर तालाब की सफाई तथा डिसिल्टिंग कार्य कराने जाने हेतु तत्काल निविदा प्रक्रिया करने हेतु निर्देशित किया।अस्सी नदी की राजस्व अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई तथा वर्तमान समय में स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई की विस्तृत जांच करते हुये डिमार्केशन करने हेतु राजस्व विभाग को निर्देश प्रदान किये गये। वाराणसी नगर निगम से Garbage Vulnerable Points प्राप्त करते हुये तथा सर्वेक्षण में चिन्हित ठोस अपशिष्ट डम्पिंग स्थलों की पहचान कर उनके निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।स्थल निरीक्षण के दौरान

अस्सी नदी के पुनरुद्धार के लिए तकनीकी विशेषज्ञों संग स्थलीय निरीक्षण कर जानकारी लेते वीडीए वीसी पुलकित गर्ग

कंचनपुर स्थित एसटीपी में इनलेट (सीवेज पानी) तथा आउटलेट (शोधित जल) पर जल की मापी करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं मिलने पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संबन्धित विभाग को फ्लो मीटर (Flow Meter) लगवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये जिससे एसटीपी की क्रियाशीलता तथा शोधित किये गये जल की वास्तविक मात्रा के विषय में स्पष्ट जानकारी मिल सके। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा अस्सी नदी के प्रवाह क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर नदी से संबन्धित सूचना पट्ट / बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया। अस्सी नदी के प्रवाह क्षेत्र के आस-पास अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुये वीडीए एवं नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारियों को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।अस्सी नदी के पुनरुद्धार हेतु ड्राइंग, डिजाइन और डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर यथाशीघ्र पुनरुद्धार कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान आईआईटी-बीएचयू की तकनीकी टीम, वीडीए, नगर निगम एवं स्थानीय राजस्व टीम उपस्थित रही।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 20.12.2024

असि नदी के जीर्णोद्धार के क्रम में हुआ स्थलीय निरीक्षण

जिला संवाददाता

वाराणसी। विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (IIT), बीएचयू, अस्सी नदी के पुनरुद्धार हेतु ड्राइंग, डिजाइन और डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराये जाने का कार्य गतिमान है। इस कार्य की प्रगति समीक्षा उपाध्यक्ष द्वारा 17 दिसंबर को संबंधित अधिकारियों और आई0आई0टी0 बीएचयू, वाराणसी के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ की गयी थी। तदक्रम में उपाध्यक्ष द्वारा गुरुवार को अस्सी नदी के जीर्णोद्धार की परियोजना के करमेश्वर, कंदवां, कर्माजीतपुर एवं अस्सी नदी एवं नाले से प्रभावित ग्रामों / क्षेत्रों का टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये। उपाध्यक्ष द्वारा अस्सी नदी एवं नाले से प्रभावित मोहल्ला-करमेश्वर

तालाब के पास पोखरी, कंदवां एवं कर्माजीतपुर तालाबों/पोखरा की भू-स्वामित्व की जांच करते हुये सीमांकन कर पत्थर लगाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए इस हेतु वीडीए व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के गठन हेतु आदेशित किया गया। अस्सी नदी के शुरूआत में आ रहे 04 तालाबों यथा- अपस्ट्रीम आफ कर्दमेश्वर महादेव मंदिर तालाब, कर्दमेश्वर तालाब, कंदवा तालाब तथा कंचनपुर तालाब की सफाई तथा डिसिल्टिंग कार्य कराने जाने हेतु तत्काल निविदा प्रक्रिया करने हेतु निर्देशित किया गया। अस्सी नदी की राजस्व अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई तथा वर्तमान समय में स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई की विस्तृत जांच करते हुये डिमार्केशन करने हेतु राजस्व विभाग को निर्देश प्रदान किये गये। नगर निगम से Garbage Vulnerable Points प्राप्त करते हुये तथा सर्वेक्षण में चिन्हित ठोस अपशिष्ट डम्पिंग स्थलों की पहचान कर उनके निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।